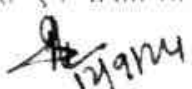
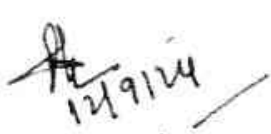


न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, रंका।

राजस्व वाद सं०-05/2022-23

मोहम्मद अली अंसारी बनाम अंचल अधिकारी, रमकण्डा

आदेश

दिनांक	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश	अभ्युक्ति
12.9.24	अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी मोहम्मद अली अंसारी पिता- रव० अब्दुल अहद अंसारी ग्राम- रोहड़ा, थाना- रमकण्डा, जिला- गढ़वा के द्वारा आवेदन के आधार पर यह वाद दायर किया गया है। इस वाद में अपीलार्थी का कहना है कि ग्राम- रमकण्डा के खाता सं०- 297 प्लॉट सं०- 1262/1312 में रकबा- 6.60 ए० भूमि भू-दान यज्ञ कमिटी द्वारा पर्चा क्र० 2512 दिनांक- 08.06.1981 के माध्यम से भूमि प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, रमकण्डा के कार्यालय द्वारा पूरी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए उक्त प्राप्त भूमि का दाखिल खारीज होकर शुद्धि पत्र प्रथम पक्ष के नाम किया गया एवं मांग पंजी 2 के पृष्ठ सं०- 08/1 पर मोहम्मद अंसारी के नाम मांग स्थापित किया गया इसके बाद प्रथम पक्षकार लगातार मालगुजारी रसीद का भुगतान सरकार के सिरिस्ते अंचल कार्यालय, रमकण्डा में कर रसीद प्राप्त करते रहे है, वर्ष 2016 में भी प्रथम पक्ष मालगुजारी का भुगतान कर रसीद क्र० JH/37A 063023 प्राप्त किये है। भू-दान द्वारा प्रथम पक्ष को वितरण की गई भूमि का नया खाता 758 है तथा प्लॉट सं०- 1312 है प्लॉट 1312 का खतियान हाल सर्वे के अनुसार झारखण्ड भू-दान यज्ञ कमिटी के नाम है एवं हाल सर्वे खतियानी रकबा- 8.51 ए० है जिसमें प्रथम पक्ष को 6.60 ए० भूमि प्राप्त है। अंचल अधिकारी, रमकण्डा के पत्रांक- 323 दिनांक- 19.12.2023 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक से कराया गया है जॉच प्रतिवेदन में बताया गया है कि आवेदक मोहम्मद अली अंसारी पिता- रव० अब्दुल अहद अंसारी, ग्राम- रोहड़ा, थाना- रमकण्डा जिला- गढ़वा के द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में जॉच किया। पाया कि बिहार भू-दान यज्ञ समिति के दानपत्र सं०- 2512 दिनांक- 08.06.1981 के आलोक में लगान निर्धारण केस नं०- 03/1982-1983 के द्वारा मौजा रमकण्डा के खाता सं०- 297 प्लॉट सं०- 1262/1312 रकबा- 6.60 ए० भूमि का लगान निर्धारण मो० अली पिता- अब्दुल अहद मियां के नाम से हाल सर्वे खाता सं०- 758, प्लॉट सं०- 1312 रकबा- 08.51 ए० भूमि झारखण्ड भू-दान समिति के नाम से खाता प्राप्त है। आवेदक के द्वारा अपने आवेदन के साथ भू-दान पट्टा संलग्न नहीं किया गया है। मात्र एक लगान रसीद वर्ष 2016 का संलग्न किया है। लगान निर्धारण से संबंधित पत्र में तिथि 29.04.1981 अंकित है जो कि अंचल अधिकारी के द्वारा निर्गत है जबकि भूमि सुधार अधिनियम के तहत भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा लगान निर्धारण किया जाता है। तिथि भी हिन्दी में 2 एवं अंग्रेजी में 29 है जो संदेहास्पद है। हाल सर्वे का अंतिम प्रकाशन 1994 में हुआ है जबकि आवेदक के द्वारा वर्ष 1981 में निर्गत भू-दान पट्टा दिखाया जा रहा है। हाल सर्वे प्रकाशन के समय बंदोबस्त कार्यालय में किसी प्रकार का दावा आपत्ति का कोई साक्ष्य आवेदक के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त परिपेक्ष्य में हाल सर्वे के प्रकाशन के बाद किसी प्रकार का परिवर्तन अधोहस्ताक्षरी के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रंका।  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रंका।	